



Neutral Citation No. - 2026:AHC:64066

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -
2739/2026

प्रमोद उर्फ पप्पू एवं अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अभिलाषा सिंह, आशुतोष यादव, राहुल यादव, श्याम लाल

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, कृष्ण मोहन त्रिपाठी

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदकों की विद्वान अधिवक्ता सुश्री अभिलाषा सिंह और सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अमित कुमार दुबे को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकों की ओर से परिवाद वाद संख्या 28120/2023 (पुराना संख्या 2776/1998), धारा 147, 148, 149, 302, 304, 109 आई.पी.सी., थाना - इस्लाम नगर, जिला बदायूँ के अंतर्गत, विचारण के लंबित रहने तक उन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदकों की विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदकों को एक परिवाद वाद में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि आवेदक संख्या 1, प्रमोद द्वारा अपने चाचा उमेश चंद्र की हत्या के लिए नरेश, शांति स्वरूप और राम प्रकाश के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 143/1982, धारा 302 आई.पी.सी. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उनका तर्क है कि घटना के नौ महीने बाद, दं.प्र.सं. की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन पर एक प्रति-संस्करण तैयार किया गया, जिसे मुकदमा अपराध संख्या 143-ए/1982 के रूप में पंजीकृत किया गया। मामला दर्ज करने का निर्देश देने वाले उक्त आदेश को पुनरीक्षण में चुनौती दी गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया और मामले को परिवाद वाद के रूप में मानने का निर्देश दिया गया। इसके बाद आवेदकों को आदेश दिनांक 15.07.1993 द्वारा तलब किया गया। आदेश दिनांक 15.07.1993 को सत्र न्यायालय में दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 3067/1993 में चुनौती दी गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया और आदेश दिनांक 15.07.1993 को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने आदेश दिनांक 15.11.1995 के माध्यम से पत्रावली को अभिलेखों में रक्षित कर दिया। उक्त आदेश को पुनरीक्षण संख्या 140/1997 में चुनौती दी गई, जिसे आदेश दिनांक

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



27.10.1998 के माध्यम से एकपक्षीय रूप से स्वीकार कर लिया गया और मामले को पुनः सुनवाई के लिए प्रेषित कर दिया गया। इसके बाद 09.10.2001 को तलब करने का आदेश पारित किया गया, जिसके बाद आवेदकों के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट भी जारी किए गए।

4. आवेदकों की विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि गैर-जमानती वारंट जारी करने वाले आदेश दिनांक 17.02.2009 और आवेदकों को तलब करने वाले आदेश दिनांक 09.10.2001 को दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 875/2009 में चुनौती दी गई थी, जिसे इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। उसके बाद, परिवाद वाद की पूरी कार्यवाही को चुनौती देते हुए दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था, और इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 27.04.2009 के माध्यम से परिवाद वाद की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। उक्त आवेदन अंततः इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21.01.2026 के माध्यम से खारिज कर दिया गया और 21.01.2026 तक आवेदकों के पक्ष में अंतरिम आदेश प्रभावी रहा।
5. आवेदकों की विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इसके बाद ही आवेदकों ने संबंधित न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए गुहार लगाई है। आवेदकों की विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक संख्या 1 को तीन मामलों में झूठा फंसाया गया था। किसी भी मामले में आवेदक को दोषी नहीं ठहराया गया है, और तीन मामलों में से एक में अंतिम रिपोर्ट (फाइनल रिपोर्ट) दाखिल हुई, दूसरा मामला निरस्त हो गया, और तीसरे मामले में, इस न्यायालय द्वारा धारा 482 के आवेदन संख्या 5489/2024 में कार्यवाही पर रोक लगाई गई है। आवेदकों की विद्वान अधिवक्ता ने तब तर्क दिया कि आवेदकों को झूठा फंसाया गया है और विचारण के दौरान उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए, और उन्हें अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। आवेदक फरार न होने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करने का वचन देते हैं।
6. दूसरी ओर, परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री के.एम. त्रिपाठी का तर्क है कि आवेदकों ने धारा 482 के आवेदन संख्या 9657/2009 में अंतरिम राहत प्राप्त करते समय इस न्यायालय से भौतिक तथ्यों को छिपाया था, जिसे अंततः इस न्यायालय ने 21.01.2026 को खारिज कर दिया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि एक फर्जी मामला बनाया गया था, जबकि परिवादी द्वारा दर्ज कराया गया परिवाद तथ्यों का सही संस्करण था। उन्होंने तर्क दिया कि दं.प्र.सं. की धारा 200 और 202 के तहत बयानों में गवाहों ने परिवाद में दिए गए संस्करण का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है, और आवेदकों के विरुद्ध कथित अपराध जघन्य है, और निर्धारित दंडों में से एक मृत्युदंड है। उनका तर्क है कि इतने गंभीर अपराध के लिए आवेदकों को कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए।
7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के दावे का समर्थन किया है।
8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों पर विचार किया है।
9. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उमेश चंद्र की हत्या के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक संख्या 1 द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसे मुकदमा अपराध संख्या 143/1982 के रूप में पंजीकृत किया गया था। वर्तमान मामला एक परिवाद से उत्पन्न हुआ है, और आवेदकों को वर्ष 1993 में आदेश दिनांक 15.07.1993 के माध्यम से तलब किया गया था। आदेश दिनांक 15.07.1993 को पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा 11.10.1995 को निरस्त कर दिया गया था, और

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मजिस्ट्रेट ने 15.11.1995 को अभिलेखों को रक्षित कर दिया था। अभिलेखों को रक्षित करने वाले आदेश को पुनरीक्षण संख्या 140/1997 में चुनौती दी गई थी, जिसे 27.10.1998 को एकपक्षीय रूप से स्वीकार कर लिया गया था, जिसके बाद 09.10.2001 को आवेदकों को पुनः तलब किया गया और गैर-जमानती वारंट भी जारी किए गए।

10. आदेश दिनांक 17.02.2009 और 09.10.2001 को चुनौती देने वाली आवेदकों की दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 875/2009 को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें आवेदकों को संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए छूट दी गई थी और गैर-जमानती वारंट के क्रियान्वयन पर तीन सप्ताह की अवधि के लिए रोक लगा दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बाद, आवेदकों द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत एक आवेदन संख्या 9657/2009 दायर किया गया था, जिसमें परिवाद वाद की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी, और अंततः 21.01.2026 को, यानी घटना की तिथि से लगभग तैंतालीस वर्ष बाद, धारा 482 के तहत आवेदन को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। आवेदक संख्या 1 द्वारा दर्ज कराया गया मामला संबंधित सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के स्तर पर बताया गया है। इस न्यायालय की राय में, आवेदकों के विरुद्ध कार्यवाही, जो इस न्यायालय द्वारा धारा 482 के आवेदन के खारिज होने के बाद पुनः शुरू की गई है, में आवेदकों की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है।
11. हालांकि आवेदकों के विरुद्ध वर्ष 2009 में गैर-जमानती वारंट जारी किए गए होंगे, लेकिन इस न्यायालय द्वारा आवेदकों को एक अंतरिम आदेश प्रदान किया गया था, जो वर्ष 2026 तक प्रभावी रहा। सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया है कि मामला दो बार डिफॉल्ट में खारिज हुआ था; हालांकि, वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि जब 21.01.2026 को आवेदन का अंतिम रूप से निर्णय हुआ, तब पिछली तिथियों पर अंतरिम आदेश को विस्तारित किया गया था।
12. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को कि घटना की तिथि से लगभग 44 वर्ष बीत चुके हैं, और आवेदक वरिष्ठ नागरिक हैं, इस न्यायालय की राय में, अग्रिम जमानत देने का आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है।
13. उपरोक्त के आलोक में, आवेदकों का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
14. आवेदकों - प्रमोद उर्फ पप्पू और लखखू उर्फ सत्यपाल की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें उपरोक्त मुकदमा अपराध में एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय के संतोषानुसार प्रस्तुत करने पर तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-
 - i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएंगे;
 - ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे जिससे कि वे उन्हें ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे;
 - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;
 - iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेंगे/डराएंगे नहीं;

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



15. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
16. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दी गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निपटारे के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

26 मार्च, 2026

ए. पाण्डेय

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"